

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद

पत्रांक ३७०३ / 14-1, दिनांक: फर्रुखाबाद, जून २४/2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय-

जनपद फर्रुखाबाद-फतेहगढ़-गुरसहायगंज रोड (एस0एच0-29ए) किमी0 नं0 9 (सैनेज & 053) बांटी पटरी पर खसरा सं0-634 मि0 ग्राम-भूलनपुर विरपुरा, फरगना-भोजपुर, तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उओप्र0 लखनऊ का पत्रांक-1852/11-सी-FP/UP/ OTHERS/32858 दिनांक 28.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव की चार प्रतियाँ आपकी सेवा में सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र0सं0	आपत्ति	आस्था
1	प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कराते हुये संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र को प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 08 वर्षों का अनुस्वण सहित क्षतिपूर्क का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, जोकि अपूर्ण है। अतः 10 वर्षों का अनुस्वण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक 13 (i) में संशोधित घनराशि एवं क्रमांक 13 (ii) में संशोधित प्राक्कलन अपलोड करें।	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 08 वर्षों का अनुस्वण सहित क्षतिपूर्क का विस्तृत प्राक्कलन पूर्ण कराकर एवं 10 वर्षों का अनुस्वण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक 13 (i) में संशोधित घनराशि एवं क्रमांक 13 (ii) में संशोधित प्राक्कलन अपलोड करा दिख गया है।
3	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
4	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1,50000 माप की टोपोग्रीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1,50000 माप की टोपोग्रीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की टोपोग्रीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1,50000 माप की टोपोग्रीट संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दी गयी है।
5	प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये गये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एटोनी प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	रिटेल आउटलेट स्थापित किये गये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एटोनी प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दी गयी है।
6	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, किन्तु प्रमाण पत्र में Linear अंकित है जबकि प्रकरण Non Linear है। अतः संबंधित जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र सही कर दिया गया है।
7	हार्डकोपी भाग-2 में हरियाली घनत्व अंकित नहीं किया गया है। अतः हरियाली घनत्व भाग-2 में अंकित करें।	हार्डकोपी भाग-2 में हरियाली घनत्व अंकित कर दिया गया है।
8	ऑनलाइन भाग-2 में 922 पेज अपलोड किये गये हैं। किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये हैं। अतः इस अन्तर को स्पष्ट करते हुये वास्तविक वृक्षों की संख्या ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक पाये गये हैं। जिनको ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड किया गया है।
9	हार्डकोपी भाग-2 क्रमांक-7 (7) में बाधक वृक्षों की कोई सूचना अंकित नहीं की गयी है। अतः बाधक वृक्षों की सही सूचना अंकित करें।	हार्डकोपी भाग-2 क्रमांक-7 (7) में बाधक वृक्षों की सूचना अंकित कर दी गयी है।
10	हार्डकोपी भाग-2 क्रमांक-10(s) से 10(S) में क्षतिपूर्क वनीकरण स्क्रीम का ब्लेस अंकित नहीं किया गया है। अतः क्षतिपूर्क वनीकरण स्क्रीम का सही ब्लेस अंकित करें।	क्षतिपूर्क वनीकरण स्क्रीम का ब्लेस अंकित कर दिया गया है।
11	ऑनलाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही भौगोलिक क्षेत्रफल अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सही अंकित किया गया है।

संलग्नक-यद्योपरि।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद

पत्रांक

/अ. समादिनांकित-

प्रतिलिपि-उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय आगरा को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद